PwC का वैश्वकि जोखमि सर्वेक्षण, 2023

प्रलिमि्स के लयि:

साइबर जोखमि, साइबर सुरक्षा, जेनरेटवि आर्टफिशियिल इंटेलजिंस, रैनसमवेयर अटैक

मेन्स के लयि:

भारत में साइबर जोखमि से संबंधति चुनौतयिाँ, भारत में साइबर-सुरक्षा के लयि प्रावधान

स्रोत: हदिुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

वैश्वकि सलाहकार फर्म, PwC के **वैश्वकि जोखमि सर्वेक्षण, 2023** के अनुसार, साइबर जोखमि भारतीय संगठनों के लयि सबसे बड़ा खतरा है।

सर्वेक्षण की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

- **साइबर जोखमि:**
  - साइबर जोखमिों को भारतीय संगठनों द्वारा सामना कयि जाने वाले **सबसे बड़े खतरे** के रूप में संदर्भति कयिा गया है। **38% उत्तरदाता साइबर खतरों के प्रतउिच्च अथवा अत्यधकि असुरक्षति महसूस करते हैं।**
    - जलवायु परविर्तन (37%) तथा मुद्रास्फीति (36%) भारतीय संगठनों के लयि शीर्ष खतरों में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं।
    - **डजिटिल तथा प्रौद्योगकिी संबंधी जोखमि** चौथे स्थान पर हैं, 35% भारतीय व्यापारी इन जोखमिों को लेकर चतिति हैं।
- **जोखमि प्रबंधन:**
  - भारतीय संगठन साइबर सुरक्षा **में** सक्रयि रूप से **नविेश** कर रहे हैं, अधकिांश लोग आगामी 1-3 वर्षों में साइबर सुरक्षा उपकरण (55%) तथा AI-संबंधति प्रौद्योगकियिों (55%) में नविेश की योजना बना रहे हैं, जो वैश्वकि रुझानों (क्रमशः 51% व 49%) के अनुरूप है।
  - इन नविेशों को सुदृढ़ करने के लयि **71% भारतीय संगठन सक्रयि रूप से जोखमि प्रबंधन तथा अवसर की पहचान के लयि साइबर सुरक्षा एवं IT डेटा का अनुप्रयोग** कर रहे हैं, जो वैश्वकि औसत 61% से अधकि है।
  - सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि कैसे संगठन जोखमि प्रबंधन के लयि जेनरेटवि आर्टफिशियिल इंटेलजिंस जैसी उभरती प्रौद्योगकियिों का उपयोग कर रहे हैं, 48% भारतीय उद्यमों ने बड़े पैमाने पर स्वचालति जोखमि मूल्यांकन और प्रतक्रियिा के लयि AI तथा मशीन लर्नगि को प्रयोग में लाया गया है। यह वैश्वकि प्रतक्रियिा 50% से थोड़ा कम है।
    - यह रणनीतकि दृष्टकिोण साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने और लचीलेपन के लयि वकिसति प्रौद्योगकियिों को अपनाने की प्रतबिद्धता का प्रतीक है।
- **वरिासत प्रौद्योगकियिाँ:**
  - 42% भारतीय संगठन पुरानी प्रौद्योगकियिों (पुरानी प्रौद्योगकिी प्रणालयिों और बुनयिादी ढाँचे) के कारण **बढ़ी हुई सुरक्षा कमज़ोरयिों** से जूझ रहे हैं, जो वैश्वकि औसत 36% से अधकि है।
  - इसके अलावा 46% भारतीय कंपनयिों को पुरानी तकनीक, नवोन्वेषी जोखमि समाधानों के लयि सीमति बजट के कारण रखरखाव से संबंधति लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ता है, जो वैश्वकि आँकड़े 39% से अधकि है।
- **नविेश में लचीलापन:**
  - **पछिले वर्ष के दौरान 88% भारतीय संगठनों ने लचीलेपन के नरि्माण** में सक्रयि रूप से नविेश कयिा है, जो वैश्वकि औसत 77% से अधकि है।।
    - इस नविेश में एक टीम शामलि होती है, जसिमें व्यापार नरिंतरता, साइबर, संकट प्रबंधन और जोखमि प्रबंधन जैसे कार्यों के सदस्य शामलि होते हैं, जो जोखमि की घटनाओं के घटति होने पर तेज़ी से प्रतक्रियिा देते हैं।

साइबर जोखमि भारतीय संगठनों के लयि एक प्राथमकि खतरा क्यों हैं?

- मैलवेयर, ट्रोजन और स्पाइवेयर से जुड़े साइबर जोखिम प्रमुख रूप से भारतीय संगठनों के लिये सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरे हैं, जो विशेष रूप से रैंसमवेयर हमलों में पर्याप्त वृद्धि से उजागर हुए हैं।
    - रोकथाम के बावजूद, इन जोखिमों का इस बात पर बड़ा प्रभाव पड़ता है कि **बाज़ार उन्हें कैसे देखता है**, जो **स्टॉक की कीमतों को प्रभावित** करता है और विश्वास को खत्म करता है।
- फिरौती का भुगतान करने वाली कंपनियों ने **बैकअप पर निर्भर रहने वाली कंपनियों की तुलना में डेटा रिकवरी की लागत दोगुनी** हो गई है, जो रैंसमवेयर मांगों के आगे घुटने टेकने के वित्तीय नुकसान पर बल देती है।
- IT संगठन महत्त्वपूर्ण डेटा की एक **विविध शृंखला संग्रहीत करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी, बौद्धिक संपदा, एक्सेस क्रेडेंशियल और वित्तीय डेटा** शामिल होते हैं।
    - यह बहु-आयामी डेटा ख़तरे फैलाने वालों को कई प्रकार की **दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों** को अंजाम देने और बनाए रखने के लिये उत्तोलन प्रदान करता है।
    - लीक हुआ डेटा, विशेष रूप से बौद्धिक संपदा, **सॉफ्टवेयर के अवमूल्यन और प्रतिकृति** को जन्म दे सकता है, जिससे राजस्व धाराओं के लिये गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
- डेटा का आंतरिक मूल्य और संगठन के हितधारकों पर संभावित प्रभाव से सफल फिरौती वसूली की संभावना बढ़ जाती है।

भारतीय संगठनों हेतु साइबर जोखिमों को संबोधित करने वाले कानून:

- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000:**
    - यह साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और साइबर अपराध से संबंधित प्राथमिक कानून है। हैकिंग, सेवा से इनकार करने वाले हमले, फ़िशिंग, मैलवेयर हमले, पहचान धोखाधड़ी और इलेक्ट्रॉनिक चोरी जैसी गतिविधियों को दंडनीय अपराध के रूप में पहचानना।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:**
    - **DPDP अधिनियम, 2023** वैध उद्देश्यों के लिये ऐसे **डेटा के वैध प्रसंस्करण पर ज़ोर देते हुए व्यक्तियों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा** के अधिकार को स्वीकार करने वाला कानून है।
        - यह डेटा प्रोसेसर पर जवाबदेही और ज़िम्मेदारियाँ थोपता है। DPDP अधिनियम, 2023 कर्मचारियों और ग्राहकों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के बारे में चिंताओं को संबोधित करता है, जिससे डेटा गोपनीयता के उच्च मानक को बढ़ावा मिलता है।
- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013:**
    - इसे खतरे की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिये क्षमताओं का निर्माण, सुभेद्यता को कम करने व राष्ट्रीय सुरक्षा को डिजिटल रूप से सुदृढ़ करके साइबरस्पेस में सूचना एवं बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिये डिज़ाइन किया गया है।
    - यह एक **सुरक्षित कंप्यूटिंग वातावरण सुनिश्चित करने**, **इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में विश्वास को बढ़ावा देने** और **साइबरस्पेस सुरक्षा** के लिये हितधारकों के कार्यों का मार्गदर्शन करने पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020:
    - Aims to improve cyber awareness and cybersecurity through more stringent audits. Empanelled cyber auditors will look more carefully at the security features of organizations than are legally necessary now. इसका उद्देश्य अधिक कड़े ऑडिट के माध्यम से साइबर जागरूकता और साइबर सुरक्षा में सुधार करना है। पैनल में शामिल साइबर ऑडिटर संगठनों की सुरक्षा सुविधाओं पर कानूनी तौर पर वर्तमान की तुलना में अधिक सावधानी से ध्यान देने ।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

Q.1 भारत में, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके/किनके लिये विधितः अधिदेशात्मक है?(2017)

1. सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर)
2. डेटा सेंटर
3. कॉर्पोरेट निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

?????:

Q1. साइबर सुरक्षा के वभिन्नि तत्त्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, जाँच कीजयि कि भारत ने कसि हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक वकिसति की है। (2022)